प्रकरण संख्या 11/2018 मोहनलाल बनाम राजेन्द्र प्रसाद व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.02.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 1424/138 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व 1425/155 रकबा 3 बिस्वा ग्राम ठीकरिया में स्थित होकर उक्त आराजियात पर वादी बहैसियत खातेदार 60 वर्षो से उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है, जो वादी को नियमन होकर खातेदारी हक से नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 24.04.1975 से प्राप्त हुई। उक्त आराजियात के मूल नंबर क्रमशः 138 व 155 थे। प्रतिवादी संख्या 3 ने आराजी नंबर 138 में वादी की अन्य खातेदारी की कृषि भूमि सर्वे नंबर 139 के दक्षिण दिशा में सर्वे नंबर 1424/138 के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से सर्वे नंबर 1522/138 रकबा 4 बीघा वादी को सुने बिना किसी आदेश से करवा प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 को अवैध रूप से अंतरित कर दी है, जिसके बाद उक्त सर्वे नंबर के बटा नंबर 2033/1522 पडे, जबकि मूल नंबर 138 के मूल नंबर 1424/138 वादी के खातेदारी व स्वामित्व की होकर वादी आज भी काबिज है। अतः निवेदन किया कि आराजी नंबर 1424/138 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व 1425/155 रकबा 3 बिस्वा में वर्तमान नक्शा ट्रेस में आराजी नंबर 1522/138 व 2033/1522 के स्थान पर वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित हदुद व मौके की स्थिति अनुसार तरमीम कर राजस्व अभिलेख में शुद्धिकरण कर वादी को खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.02.2018 से वादी का वाद क्षेत्राधिकार के बाहर होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 06.04.2018 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री आर. के. जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 4, 5 की ओर से वकील श्री तसलीम अहमद उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।	

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि विवादित भूमि कृषि भूमि है या रूपान्तरित भूमि इसका निर्धारण वाद में पक्षकारों की साक्ष्य आने की बाद ही किया जा सकता है, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं वाद को क्षेत्राधिकार मानकर खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित आराजी नंबर 1424/138 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व 1425/155 रकबा 3 बिस्वा जमाबन्दी संवत् 2028 से 2031, 2031 से 2034, 2039 से 2042, 2052 से 2055, 2067 से 2070 में वादी/अपीलान्ट की खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम पर निर्णय पारित कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था, जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत क्षेत्राधिकार के बाहर मानकर खारिज कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.02.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाबदावा लेकर प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर उस पर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.04.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 15:29:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: